3/15

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

13

A3

मुन्तकिली प्रकरण सं0 03/2015 अनवानी 1–सज्जनदेवी पत्नि देवीलाल जाति ब्राम्हण निवासी 26 पीबीएन तहसील सूरतगढ जरिये आममुखत्यारनामा सुशीला शर्मा पुत्री देवीलाल शर्मा हाल निवासी चक 1 केएसआर तहसील सूरतगढ 2–वीना आनन्द पत्नी श्री एम.बी. आनन्द जाति आनन्द निवासी 139 कन्त एनक्लेव, फरीदाबाद (हरियाणा) बनाम 1–विकास पुत्र ठाकर राम जाति जाट निवासी सिद्धूवाला तहसील सूरतगढ़ 2–चतरपाल सिंह पुत्र महादान सिंह जाति राजपूत निवासी टेपू फलौदी जिला जोधपुर 3– सरपंच, ग्राम पंचायत भगवानसर 4– तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ 5– उप–पंजीयक, सूरतगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11–05–2015

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया के अभिभाषक श्री अमित स्वामी उपस्थित है। अप्रार्थी सं0 1 विकास के अभिभाषक श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित है। सरपंच ग्राम पंचायत भगवान ने रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 08.04.2015 लेने से इन्कार किया है। उप पंजीयक, सूरतगढ़ बावजूद इतला उपस्थित नहीं है। अतः इन दोनो के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। तहसीलदार, सूरतगढ़ का रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 06.04.2015 जो कि दिनांक 08.04.2015 रजिस्टर्ड भिजवाया गया है, वापिस नहीं लौटा है। नोटिस जारी किये एक माह से अधिक समय होने के कारण आर्डर 5 नियम 9 (5) के परन्तुक के अनुसार तामील होना मानी जाती है। उभयपक्ष पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीया के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीया सुशीला शर्मा पुत्री श्री देवी लाल शर्मा जो कि सज्जन देवी पत्नि देवीलाल की ओर से मुखत्यारआम नियुक्त है और मुखत्यारआम की हैसियत से उसके द्वारा प्रार्थीया सज्जनदेवी की ओर से यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के न्यायालय में लंबित अपील सं0 173/2013 अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम अनवानी वीना आनन्द वगैरा बनाम विकास वगैरा में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर पेश किया है। प्रार्थीया के अभिभाषक का कथन है कि अप्रार्थी सं0 1 विकास जो कि गंगाजल मील पूर्व विधायक का रिश्तेदार है और उसने पीठासीन अधिकारी पर प्रार्थीया के विरूद्ध फैसला करवाने के लिए अनुचित राजनैतिक दबाब बना रखा है जिससे प्रार्थीया को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नही है इसलिए उक्त अपील प्रकरण किसी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में सुनवाई एवं निस्तारण के लिए मुन्तकिल किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी सं0 1 विकास के अभिभाषक का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 2 चतरपाल सिंह की तलवी होनी अभी शेष है इसलिए जब तक उसकी तलवी नही हो जाती तब तक हस्तगत प्रकरण का निस्तारण नही करना चाहिए। उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीया द्वारा लगाये गये आरोप निराधार है जो मुकदमा मुन्तकिली का कोई ठोस आधार नही बनाते है। राजनैतिक दबाब का ऐसा आरोप साधारण प्रकृति का है जो कभी भी किसी पर किसी भी समय लगाया जा सकता है इसलिए मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जावे।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीयान वीना आनन्द व सज्जन देवी ने एक अपील सं0 173/2013 वीना आनन्द वगैरा बनाम विकास वगैरा धारा 75 भू राजस्व अधिनियम का उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के न्यायालय में पेश कर रखा है जो उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ का प्रतिवेदन दिनांक 214/14–01–2015 के अनुसार उनके न्यायालय में अभी लम्बित है और उन्हे अन्यत्र मुन्तकिल किये जाने में उन्हें कोई आपति नही है। प्रार्थीया ने उक्त प्रकरण को इस आधार पर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना की है कि अप्रार्थी सं0 1 विकास सूरतगढ के पूर्व

कलेक्टर
गंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

विधायक गंगाजल मील का रिश्तेदार है और उसने पीठासीन अधिकारी पर उसके विरूद्ध निर्णय हेतु राजनैतिक दबाब बना रखा है। अप्रार्थी सं0 1 के अभिभाषक का यह कथन कि अप्रार्थी सं0 2 की अभी तामील नही हुई है इसलिए प्रकरण का निर्णय नही करना चाहिए। इस तर्क के सन्दर्भ में मैने पत्रावली में उपलब्ध नोटिस जो कि अप्रार्थी सं0 2 चतर साल को दिनांक 21.04.2015 को सुनवाई के लिए उपस्थित आने के लिए जारी किया गया है जो जरिये रजिस्ट्री दिनांक 08.04.2015 को भेजा गया है जिसकी वापसी की सूचना आज दिनांक तक प्राप्त नही हुई है। सी.पी.सी. के आर्डर 5 रूल 9(5) के परन्तुक के अनुसार रजिस्टर्ड नोटिस जारी होने की तारीख से अगर एक माह तक वापसी रसीद प्राप्त नही होती है तो यह उपधारणा की जायेगी कि संबंधित व्यक्ति पर नोटिस तामील हो चुका है और ऐसी अवस्था में अप्रार्थी सं0 2 पर तामील होनी मानी जाती है और अप्रार्थी सं0 1 का इस संबंध में उठाया गया उक्त तर्क अस्वीकार किया जाता है। चूंकि अप्रार्थी सं0 2 पर उक्तानुसार नोटिस की तामील होना मानी गयी है और वह उपस्थित नही है। इसलिए उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

जहां तक प्रार्थीया द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाया गया राजनैतिक दबाब के आरोप का संबंध है। हालांकि यह आरोप साधारण प्रकृति का है जो कभी भी किसी पर किसी भी समय लगाया जा सकता है। मुकदमा मुन्तकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है। **चूंकि प्रार्थीया द्वारा निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त की गई और हम चाहते है कि प्रार्थीया का न्याय प्रणाली में पूर्ण विश्वास बना रहे इसलिए न्याय हित में यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्याय हित में प्रार्थीया का मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के न्यायालय में लंबित उक्त अपील सं0 173/2013 वीना आनन्द वगैरा बनाम विकास वगैरा धारा 75 भू राजस्व अधिनियम को उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में सुनवाई एवं निस्तारण हेतु मुन्तकिल किया जाता है और उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को आदेश दिया जाता है कि वे उक्त अपील प्रकरण को तत्काल उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को भिजवावें और उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वे उक्त अपील प्रकरण की शीघ्र विधिवत सुनवाई कर निस्तारण करने की कार्यवाही करें। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ व उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.05.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी. किशन)
जिला, कलैक्टर
श्रीगंगानगर